



संख्या- 1269 / जी0एस0(शिक्षा) / A4-106 / 2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन  
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,  
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 23 फरवरी, 2024

महोदय,

कृपया वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-2452 दिनांक 29 सितम्बर, 2023, पत्रांक-1319 दिनांक 06 अक्टूबर, 2021, पत्रांक-2600 एवं 2601 दिनांक 08 मार्च, 2022 तथा पत्रांक-1374 एवं 1375 दिनांक 13 जुलाई, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
ओम बायो-साइंसेज एण्ड मैनेजमेंट कॉलेज, ग्रा०-पंचायनपुर, पो०-दौलतपुर, निकट-क्रिस्टल वर्ल्ड, रूड़की।	बी०फार्मा०	60	2020-21 2021-22 2022-23

- (1) प्राभूति राशि का मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक संस्थान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड पूर्ण करता है, अन्यथा, उसका प्रस्ताव अग्रेत्तर शैक्षणिक सत्र की अनुशंसा के साथ अनुमोदन हेतु अग्रसारित न किया जाये।
- (2) प्रस्ताव के साथ छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान व प्रशिक्षण हेतु किये गये अनुबन्ध संबंधी साक्ष्य संलग्न नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि वह संस्थान से प्रश्नगत साक्ष्य दो माह के भीतर प्राप्त कर इस सचिवालय को भी अवगत कराये।
- (3) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार

I/1269/2024

I/1269/2024

मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(5) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अर्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(6) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman

Date: 14-02-2024 13:36:48

(रविनाथ रामन)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या- 1269 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A4-106/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
- 3 कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फ़ाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भदौरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।